कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

क्रमांक 16527/स्था./अराज./एम.सी./2020 रीवा, दिनांक 1-9-2020

सूचना

स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत विज्ञप्ति क्रमांक 14615/स्वशासी/स्था./एम.सी./2019 रीवा दिनांक 29/07/2019 द्वारा स्टाफ नर्स पद की प्रकाशित रिक्तियों के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों के पात्रता परीक्षण के लिए दस्तावेज सत्यापन एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों के साक्षात्कार हेतु जारी की गई सूची आवेदकों द्वारा आवेदन पत्रों में भरी गई जानकारी के आधार पर एम.पी. आनलाइन द्वारा प्रदान की गई है।

इस कार्यालय के सूचना क्रमांक क्रमांक 16317/स्था./अराज./एम.सी./2020 दिनांक 28/08/2020 से आपत्ति. दर्ज कराने हेतु सूचना जारी की गई थी। जिसके संबंध में प्राप्त ऑनलाईन एवं आफ लाईन आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है :-

01. <u>चयन प्रक्रिया</u>

निर्धारित मानक के अनुसार एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई वरीयता सूची के आधार पर रोस्टर अनुसार आरक्षण श्रेणी के स्वीकृत पदो के तीन गुना पदो के आधार पर आमंत्रित किया गया है। अंकों की गणना निम्नानुसार की गई है :-

अ) बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एम.एम. के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 65 प्रतिशत

ब) बी.एस.सी. नर्सिंग हेतु 10 अंक

स) मध्यप्रदेश के मूलनिवासी प्रमाण पत्र हेतु 5 अंक

द) कुल अंक 80

उदाहरण के लिए किसी आवेदक के नर्सिंग के संपूर्ण वर्षो के अंकों का प्रतिशत 75 है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :-

अ)	75 का 65 प्रतिशत	= 48.75
ब)	यदि बी.एस.सी. नर्सिंग किया है तब	= 10.00
स)	यदि मध्यप्रदेश मूलनिवासी है तब	= 05.00
	कुल अंक	**= 63.75**

इस प्रकार से गणना करने के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन से प्राप्त आरक्षण श्रेणी अनुसार वरीयता सूची का कट ऑफ दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार है :-

अनारक्षित श्रेणी	63.84
अन्य पिछड़ा वर्ग	66.07
अनुसूचित जाति	63.65
अनुसूचित जन जाति	63.42

02. **उपरोक्त कटऑफ अनुसार आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, दस्तावेज सत्यापन के समय जिनके दस्तावेज सही पाये जावेगें उनकों तत्पश्चात उनके अंकों की गणना निम्नानुसार की जावेगी।**

अ) 300 बेड या अधिक शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में कार्य अनुभव को प्रत्येक वर्ष कार्य अनुभव हेतु 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिये जावेगें।

ब) साक्षात्कार में अधिकतम 10 अंक दिये जावेगें।

स) तदोपरांत कुल अंकों की गणना करके आरक्षण श्रेणी अनुसार वरीयता के आधार पर अंतिम चयनित आवेदकों की सूची जारी की जावेगी।

03. **बी.एस.सी. नर्सिंग के अलावा अन्य योग्यताओं के अंकों की गणना के संबंध में :-**

स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के द्वारा निर्धारित मानकों में स्टाफ नर्स पद हेतु बेसिक योग्यता जी.एन.एम. है एवं केवल बी.एस.सी. नर्सिंग हेतु 10 अंक का बोनस का प्रावधान है। एम.एस.सी. या अन्य शैक्षणिक योग्यताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

04. **आरक्षण :-**

उपरोक्त नर्सिंग भर्ती में आरक्षण हेतु जिला रोस्टर के आधार पर गणना की गई है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन जाति हेतु 13 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। जबकि उक्त रोस्टर में EWS के एवं संविदाकर्मियों के आरक्षण के लिए प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त नर्सिंग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा हेतु की गई है। चूंकि यह नया अस्पताल है इसमें पहले से कोई भी संविदाकर्मी स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत नहीं है।

05. अगर किसी ने आवेदक ने एम.पी. ऑनलाइन को गलत जानकारी दी गई है तो मूल दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान उसको वरियता के आधार पर स्थान दिया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

Dr Alok P. Singh
01/09/2020